FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मामराज बनाम रामकरण वगै0
दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा
मुकदमा नम्बर 119/2007 बी0टी0 नम्बर 698/17

किस्म मुकदमा ..... नं. ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20-7-18	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-7-18 को पेश हो। Vimla	
31-7-18	~~इकजाई तारीख पेशी देने पर~~ पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-8-18 को पेश हो। Vimla	
7-8-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-8-18 को पेश हो। Vimla	

मामराज बनाम रामकरण वगै0
दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा
मुकदमा नम्बर 119/2007 बी0टी0 नम्बर 698/17

30.08.2018 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 165, 166, 184 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह में स्थित है। जिसके 1/3 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम, 1/3

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

~~मामराज बनाम् रामकरण वगै०~~
दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा
मुकदमा नम्बर 119/2007 बी0टी0 नम्बर 698/17

हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम व शेष 1/3 हिस्से की खातेदारी अन्य के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 154, 155, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 7 कुल रकबा 2.98 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम व 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 एक ही परिवार के व्यक्ति है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। वादी के पिता व उसके भाई हरदेव व सुवा ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमियों का बाह्मी बंटवारा कर लिया था। जिसमें सुवा के नाम दर्ज हिस्सा वादी के पिता सुन्दर व उसके भाई हरदेव के हिस्से में आ गया था तथा सुवा को अन्य भूमियॉ भाई बंटवारे में दें दी गई थी। वादी के पिता सुन्दर के स्वर्गवास हो जाने के बाद वादी उक्त भूमियों के सुवा के नाम दर्ज हिस्से के 1/2 हिस्से पर व हरदेव के स्वर्गवास के पश्चात् रामकरण, जवाना,उंकार ने उक्त भूमियों का बाह्मी बंटवारा कर लिया जिसमें उक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रामकरण के हिस्से में आ गई। जिस पर वह काबिज काश्त चले आ रहे है। सुवा के स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्ववत विरासत के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम क्रमशः 1/3 व 1/2 हिस्से की दर्ज हो गई। जबकि प्रतिवादी न. 2 व 3 ने उक्त भूमियों को कभी काश्त नहीं किया। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम दर्ज उक्त भूमियों के आधा हिस्सा पर वादी व आधा हिस्सा पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी न. 1 के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को बहला फुसलाकर उनके हिस्से का नुमाईसी रजिस्ट्री अपने हक में करवाने पर आमादा होने तथा दिनांक 24.6.2007 को वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करने की धमकी दिये जाने पर वादकारण पैदा होने पर दावा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

पेश किया गया है। वकील वादी ने दौराने बहस यह भी अवगत कराया कि इस भूमि बाबत पक्षकारान् के मध्य एक लिखावट दिनांक 30.06.95 को लिखी गई थी। उस लिखावट में वादी व प्रतिवादी न. 1 के द्वारा प्रतिवादी न. 2 को उक्त भूमियों बाबत रूपये दिये जाने का अंकन किया गया है। वकील वादी ने प्रतिवादी नम्बर 2 के फौत हो जाने तथा उसके वारिस का पूर्व से प्रतिवादी न. 3 रिकार्ड पर स्थापित होने से प्रतिवादिया नम्बर 2 का नाम दावा से हजफ किये जाने बाबत भी अवगत कराया। साक्ष्य वादी में वादी मामराज व साक्ष्य गवाहान् में मालसिंह, मोतीराम के लिखित शपथ पत्र पेश किये गये है। वकील वादी ने प्रस्तुत वादपत्र को पैत्रृक भूमि का होने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से वादपत्र को डिक्री किये जाने एंव वादी व प्रतिवादी न. 1 को उक्तानुसार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वकील वादी ने अपनी बहस में किया है।

हमने वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 –दो, लिखावट दिनांक 30.06.95, साक्ष्य वादी में वादी मामराज व साक्ष्य गवाहान् में मालसिंह, मोतीराम के लिखित शपथ पत्रों का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार से है। जो वादपत्र में पेश सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत अपने वादपत्र में सजरा खानदान के अलावा अन्य कोई राजस्व रिकार्ड नया व पुराना, खसरा गिरदावरियॉ व पुरानी जमाबन्दियॉ इत्यादि पेश नहीं की गई है। जिससे उक्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 की पैत्रृक भूमियॉ हों। जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 में वादी व प्रतिवादीगण न. 1 ता 3 का नाम दर्ज रिकार्ड है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी व प्रतिवादी न. 1

Scanned by CamScanner

मामराज बनाम् रामकरण वगै0
दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा
मुकदमा नम्बर 119/2007 बी0टी0 नम्बर 698/17

प्रतिवादी न. 2 व 3 के पति/पिता की मृत्यु होने पर दो किश्तों में रूपयों का भुगतान किया गया है। जिसकी पत्रावली पर उपलब्ध लिखावट पर दोनों प्रतिवादी नं. 2 व 3 एंव वादी व प्रतिवादी न. 1 के हस्ताक्षर भी अंकित है। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रृक भूमि हो। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी स्थिति में पैत्रृक भूमि साबित होना नहीं पाया जाता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इस शर्त पर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 165, 166, 184 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसीलदार श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से का आधा अर्थात् 1/6 हिस्से का वादी को व 1/6 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 154, 155, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 7 कुल रकबा 2.98 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से का आधा अर्थात् 1/4 हिस्से का वादी को व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की वर्तमान प्रचलित बाजार दर के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी राज्यकोष में जमा करावें तो उक्त हिस्सों की खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड की जावें एंव प्रतिवादी न. 2 व 3 का नाम उक्त हिस्से के राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे। राशि राजकोष में जमा होने पर ही तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। इसी भॉति पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर

Gm.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

मामराज बनाम् रामकरण वगै0
दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा
मुकदमा नम्बर 119/2007 बी0टी0 नम्बर 698/17

से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(श्रीमाधोपुर (सीकर)

आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner